न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

<u>निगरानी डीपी प्रकरण संख्या 03/2012.</u>(GCMS : 2012/00011)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. **ठाकरी बाई बेवा रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर — — — मृतक**

1/1 भगवान सिह पुत्र रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

1/2 करतारो बाई पुत्री रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

1/3 माया बाई पुत्री रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी सकेरा तहसील फाजिल्का (पंजाब)

1/4 करतार सिह रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

4/1 हरबंस कौर पुत्री करतार सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

4/2 निकी पुत्री करतार सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

4/3 सीतो बाई पुत्री करतार सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

4/4 दर्शन सिंह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

4/5 परमजीत सिह पुत्र करतार सिंह जाति रायसिख निवासी धनुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

<u>बनाम</u>

1. **करतार सिंह पुत्र दोना सिंह**
2. जगो बाई
3. करतारो बाई } पुत्रियान दोना सिंह, निवासी धनूर, हाल पन्नीवाली
4. जपना बाई } तहसील टिब्बी जिला [illegible]नगढ
5. चौपा सिंह पुत्र गणेशा सिंह जाति रा[illegible]सी धनूर तहसीर करणपुर
6. अमर कौर बेवा पुन्नु सि[illegible]
7. कश्मीर सिंह } [illegible] जाति रायसिख, निवा[illegible]र
8. चिमन लाल } तहसील करणपु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

9. कौशल्या देवी पुत्री पुन्नु सिंह जाति रायसिख, निवासी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
10. भगवान सिंह }
11. करतार सिंह } पिसरान रंगा सिंह जाति रायसिख निवासी धनूर तहसील करणपुर जिला श्रीगगंगानगर
12. जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर
13. प्राधिकृत सेटलमेंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकश बतरा एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री सज्जन सिंह उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीया ठाकरी बाई के पति रंगा सिह पुत्र गणेशा सिंह को उसके क्लेम के आधार पर क्लेम ऑफिसर नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24.10.1952 को 38.5 स्टेण्डर्ड एकड़ यूनिट मानते हुए वाके चक 12 एस तहसील करनपुर में 29 बीघा नहरी तथा 35 बीघा बारानी कुल 64 बीघा रकबा आवंटन किया गया था।

उनका आगे कथन था कि रंगा सिंह की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया ठाकरी बाई वगै. के **वारिस प्रमाण पत्र की घोषणा पर दिनांक 28.09.1969 को वारिस घोषित किया गया।** जिसकी निगरानी में चीफ सैटलमैंट कमीश्नर, जयपुर द्वारा दिनांक 31.01.1971 को प्रतिप्रेषित किया गया। प्रकरण के **विचाराधीन पुन्नु सिंह पुत्र रंगा सिंह द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र वारिस घोषित करने का प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 02.08.1982 को स्वीकार हुआ।** इसी दौरान मूल प्रकरण दिनांक 02.06.1[illegible] को अदम पैरवी में ही खारिज हो गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि मैनेजिंग ऑफिस श्रीगंगानगर द्वारा विवादित आराजी किश्तों के अभाव में खारिज कर रिसीवर मुर्कर कर दिया, किन्तु ठाकरी बाई वगैरहा के द्वारा दिनांक 25.03.1984 को एक मुश्त किश्त जमा करवाकर रकबा बहाल करवाकर रीसिवर से कब्जा वापिस दिलवाने का आदेश दिनांक 02.05.1984 को दिया गया। **इस पर दिनांक 03.050.1984 को दोना सिंह ने भी बहाल रकबा का कब्जा का आवेदन किया जो दिनांक 09.01.1985 को केवल रंगा सिंह आवंटी के वारिसान को कब्जा वापिस दिलवाने के आदेश को यथावत् रखा।** जिसकी निगरानी चीफ सेटलमैंट कमीश्नर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक **23.11.1985 को खारिज कर दी गई।** अतः रंगा सिंह आवंटी के वारिसान कब्जा को कब्जा दिलाये जाने का आदेश अंतिम हो चुका था, जिसके विरूद्ध दोना सिंह द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन था कि दोना सिंह दिनांक 28.2.1985 को पुनः कब्जा प्राप्ति का आवेदन प्रस्तुत किया, **जो दिनांक 01.02.1988 को खारिज किया गया।** जिसकी **अपील चीफ सैटलमेंट कमीश्नर द्वारा दिनांक 30.06.2004 को स्वीकार कर प्रति–प्रेषित कर रकबा पर रिसीवर मुर्कर कर दिया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।**

प्रार्थी के विद्वाना अधिवक्ता का कथन था कि मूल प्रकरण चीफ सेटलमेंट कमीश्वर के निर्णय दिनांक 31.01.1971 के निर्णय में केवल वारिस घोषणा का प्रार्थना पत्र जैरकार है जिसमें केवल मृतक रंगा सिंह के वारिसान को घोषत किया जाना है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विवादित आराजी को रिसीवर करने की कानूनी भूल की है।

उनका आगे कथन था कि [illegible] गासिंह पुत्र गणेशाराम अकेले को क्लेम दिनांक 24.10.[illegible] भूमि युनिट पारित किया गया है जिसकी मृत्यु के पश्चात रंगा सिं[illegible] के वारिस प्रार्थिया ठाकरी बाई व अप्रार्थी संख्या 6 ता 11 ही वारिस है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

नहीं हुई है। निगरानी में सभी वारिसों की सूची पेश नहीं की गई है और ना ही अन्य वारिसों को पक्षकार बनाया गया है।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 01.02.1988 दिनांक 30.06.2004 आदेश का मुलायजा किया जावे तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि चाहे गये अनुतोष का पहले ही निस्तारण हो चुका है। इसलिए ठाकरी बाई द्वारा निगरानी बिना किसी आधार के पेश की गई है, इसलिए निगरानी खारिज फरमाई जावे।

इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन था कि विवादग्रस्त भूमि जिसके बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है, का कब्जा तहसीलदार, करणपुर द्वारा लिया जा चुका है इसलिए इस आदेश को रोके जाने का काई आचित्य नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता का आगे यह भी कथन था कि रंगा सिंह क्लेम के आधार पर चक 12 एस के विवादग्रस्त 29 बीघा नहरी व 35 बीघा बारानी भूमि दिनांक 11.06.1955 को आवंटित की गई थी। **चक 12 एस की उक्त 29 बीघा नहरी एवं 35 बीघा बारानी भूमि टुकड़ों में होने के कारण रंगा सिंह द्वारा लेने से इन्कार कर दिया गया जिस पर दिनांक 17.03.1960 को भूमि की एवज में गांव चन्दूरवाली तहसील टिब्बी, श्रीगंगानगर(वर्तमान में जिला हनुमानगढ) में 15.00 बीघा नहरी भूमि आवंटित कर दी गई थी।** इस प्रकार चक 12 एस की उक्त 64.00 बीघा भूमि जिस पर अधीनस्थ न्यायायल ने रिसीवर नियुक्ति के आदेश दिये है, वह सही है। **चूंकि दिनांक 17.03.1960 को उक्त भूमि के एवज में रंगा सिंह को भूमि आवंटित कर दी गई थी। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिसीवर का आदेश सही रूप से दिया गया है।** उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 17.03.1960 के आदेश से आवंटित भूमि के संबंध में जांच की जानी चाहिये। उक्त भूमि पर कौन व्यक्ति किस हैसियत से काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि केन्द्र सरकार द्वारा रिस्पलेस्ड पर्सन्स क्लेम्स एण्ड अदर लॉज रिपील एक्ट 2005 (एक्ट नं. 38 सन् 2005) के द्वारा डी.पी. (सी. एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट नं. 205) के द्वारा डी.पी. (सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 (एक्ट न 44) रिपील (निरस्त) एवं लम्बित कार्यवाहिरयों के सम्बन्ध में कोई सेविंग क्लॉज नहीं रखने के कारण, डी.पी. (सी.एण्ड आर.) एक्ट 1954 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी नहीं रखी जाने के कारण, इस निगरानी में कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिनांक 05.12.2005 को दिये गये थे।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की रिट संख्या 2467/2006 अनवान ठाकरी बाई बनाम अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में प्रकरण में कार्यवाई पुनः आरम्भ की गई।

वर्तमान प्रकरण में ठाकरी बाई ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 24 डी पी सी एण्ड आर एक्ट ब अदालत प्राधिकृत सेटलमेंट कमिश्नर एवं अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30.06.2004 के विरूद्ध पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्राधिकृत सैटलमैन्ट कमीश्नर, श्रीगंगानगर के समक्ष एक अपील अन्तर्गत धारा 22 डी पी सी एण्ड आर एक्ट के अन्तर्गत जिला पुर्नवास अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.02.1988 के [illegible] सिंह (मृतक) एवं करतार सिंह वगैरहा(3) ने जि[illegible] बाई वगैरहा (4) के विरूद्ध पेश की थीं। [illegible]शनर एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2004 में निम्न आदेश पारित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 01.02.1988 निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास) एस.डी.एम. श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं की विस्तृत जांच कर उभय पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः निर्णय करें। इसके साथ ही विवादित रकबा चक 12 एस का 29 बीघा नहरी व 35 बीघा बारानी तहसील करणपुर रिसीवर किया जाता है। तहसीलदार, करणपुर विवादित रकबा का कब्जा बहक राष्ट्रपति भारत सरकार प्राप्त कर प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास), श्रीगंगानगर के निर्देशानुसार काश्त की व्यवस्था करें। प्रबन्धक अधिकारी (पुर्नवास), एसडीएम श्रीगंगानगर रिसीवर रकबा की व्यवस्था बाबत स्वतंत्र प्रभारी अधिकारी रहेगें। निर्णय की प्रति सम्बन्धित को भिजवा पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.06.2004 को सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं
अति. जिला कलक्टर (प्रशा.)
श्रीगंगानगर

प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 30.06.2004 में रंगा सिंह पुत्र गणेशा सिंह को उसके क्लेम के [illegible] 11.06.1955 को चक 12 एस का 29 बीघा नहरी व 35 बीघा 1 बिस्वा [illegible] भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आंवटित चक 12 एस का 29 बीघा नहरी व 35 बीघा 1 बिस्वा बारानी भूमि रकबा 15 टुकड़ों में होने के कारण रंगा सिंह को उसके प्रार्थना पत्र के अनुसार उसे पसन्द न होने के कारण, उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चक 12 एम का रकबा पसन्द नहीं होने पर रंगा सिंह द्वारा लिख कर आवेदन देने पर तत्कालीन एम.ओ. द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.07.1955 द्वारा उनका आवेदन स्वीकार कर लिया, इससे स्पष्ट है कि चक 12 एस का रकबा का आवंटन रंगा सिंह के नाम नहीं रहा। इसके बाद **उक्त रकबा की एवज में दिनांक 17.03.1960 को चक चन्दूरवाली तहसील हनुमानगढ में 15.09 बीघा भूमि नहरी आवंटित की गई। जिसके परिणामस्वरूप रंगा सिंह चक 12 एस की आवंटित 29 बीघा नहरी व 35.01 बीघा बारानी भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही रहता है। राजकीय अभिभाषक के कथनानुसार भी** विवादग्रस्त भूमि जिसके बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है, का कब्जा तहसीलदार, करणपुर द्वारा लिया जा चुका है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस मामले में सही रूप से रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिसे रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। **इसलिए प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) द्वारा दिनांक 30.06.2004 को पारित निर्णय सही प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिए निगरानीकर्त्ता की यह निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति प्राधिकृत सैटलमैंट कमीश्नर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पूर्व पत्रावली में निर्णय की प्रति शामिल कर जिला अभिलेखागार में पुन[illegible]। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो [illegible]

आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:18 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर